जन आधार सम्बन्धी सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न

i. जन आधार योजना क्या है ?

उत्तर– जन आधार "एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान" योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है एवं जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पते दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है । इस योजना के माध्यम से राज्य की विभिन्न नगद विभागीय योजनाओं के लाभ पारदर्शी रूप से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में तथा राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओ के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना एवं ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रो में विस्तार करना।

ii. जन आधार कार्ड से आम–जन को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगें ?

उत्तर– इस योजना में लाभ वितरण हेतु मानवीय हस्तक्षेप को कम कर सूचना प्रोद्योगिकी को अपनाकर, विभिन्न राजकीय योजनाओं के नगद व गैर–नगद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से पात्र वास्तविक लाभार्थी को ही हस्तांतरित किये जाते है। जिसकी सूचना नियमित रूप से मोबाइल पर भी प्रदान की जाती है। इस प्रकार लाभ वितरण की प्रक्रियाओं मे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

iii. क्या राज्य के सभी निवासियों को जन–आधार नामांकन करवाये जाने की आवश्यकता है?

उत्तर– नहीं, स्टेट रेजीडेंट डाटा रिपोजिटरी में पूर्व पंजीकृत परिवारों को 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की गई है। जन आधार पहचान संख्या को मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. एवं वॉयस कॉल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। इसे निकटस्थ ई–मित्र/ई–मित्र प्लस पर आधार/परिवार पहचान संख्या देकर भी प्राप्त किया जा सकता है।

iv. नवीन पंजीकरण कैसे किया जा सकेगा ?

उत्तर– जन आधार पंजीयन हेतु राज्य के निवासी व परिवार का व्यस्क सदस्य जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई–मित्र पर निशुल्क पंजीयन करा सकता है। ज्ञात रहे पंजीयन से पूर्व जांच ले कि निवासी पहले से पंजीकृत है या नहीं। परिवार द्वारा दर्ज करवाई गई सूचनाओं व अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन उपरांत 10 अंकीय जन–आधार परिवार संख्या प्रदान की जाएगी तथा उसके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सूचित किया जायेगा।

v. जन–आधार कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकेगा ?

उत्तर– परिवार को जन–आधार पहचान संख्या जारी होने के उपरान्त मुद्रित कार्ड सीधे सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति/ई–मित्र को वितरण हेतु प्रेषित किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित नगर निकाय/पंचायत समिति के द्वारा

सम्बन्धित परिवार को एकबारीय निःशुल्क कार्ड वितरित किया जाएगा। नामांकित परिवार जन आधार ई–कार्ड, जन–आधार पोर्टल अथवा एस.एस.ओ. आई डी के माध्यम से भी निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है।

vi. क्या जन आधार में संशोधन/अद्यतन करवाया जा सकता है ?

उत्तर– हां, जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र पर करवाया जा सकेगा। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से कराया जा सकेगा। निवासी चाहे तो अद्यतन जन–आधार ई–कार्ड को ई–मित्र प्लस पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है अथवा निर्धारित शुल्क देकर पी.वी.सी. कार्ड भी प्राप्त कर सकता है।

vii. जन आधार नामांकन के समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता है ?

उत्तर– जन आधार नामांकन के समय कम से कम निम्नलिखित में से दो दस्तावेजों की आवश्यकता है। इसमें यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उक्त दो दस्तावेजों में एक पहचान सिद्ध करता हो तथा एक पते की जानकारी देता हो। ये दस्तावेज हैं– आधार कार्ड, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पानी का बिल, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, निवासी की फोटो एवं बैंक खाता संख्या (बैंक की पासबुक)।

viii. जन आधार नामांकन के समय किन लोगों की उपस्थिति आवश्यक है?

उत्तर– जन आधार योजना के अन्तर्गत परिवार के सभी सदस्यों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। जन आधार योजना का उद्देश्य प्रदेश के प्रत्येक परिवार को एक पारिवारिक समूह में नामांकित कर एक जन–आधार कार्ड जारी करना भी है अतः परिवार के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है।

ix. क्या जन आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है?

उत्तर–हाँ। चूँकि जन आधार का मुख्य उद्देश्य सही निवासी की पहचान भी है जिसके लिए निवासी की उँगलियों के निशान तथा आँखों की पुतलियों की फोटो होना आवश्यक है अतः जन आधार नामांकन के लिए आधार नामांकन होना आवश्यक है। बिना आधार नामांकन के किसी भी निवासी का जन आधार योजना के अन्तर्गत नामांकन नहीं किया जायेगा।

x. परिवार का मुखिया किसे घोषित किया जा सकता है ?

उत्तर–सामान्यतः पारिवारिक सहमति से 18 वर्ष से अधिक आयु की परिवार की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाएगा। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष मुखिया हो सकता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य, परिवार का मुखिया होगा।

xi. क्या जन आधार नामांकन / जन आधार नामांकन प्रपत्र का कोई शुल्क देय होगा ?

उत्तर– नहीं। जन आधार नामांकन निःशुल्क है तथा जन आधार नामांकन प्रपत्र का भी कोई शुल्क देय नहीं है।

xii. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) क्या होता हैं ?

उत्तर– प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण देश एवं राज्य की महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक हैं। वर्तमान प्ररिपेक्ष्य में राजस्थान राज्य लाभ हस्तांतरण में अग्रणी राज्य हैं। जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित यथा– पेशंन, चिरंजीवी, छात्रवृति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि योजनाओं के नगद लाभ पात्र लाभार्थीयो को सीधे बैक खातो में व गैर नगद लाभ आधार व जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त हस्तांतरित किये जाते हैं।

xiii. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का आम नागरिक के जीवन में क्या योगदान हैं ?

उत्तर– डीबीटी का आम नागरिक के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान यह हैं कि लाभ प्रत्यक्ष रूप से पात्र लाभार्थी को समयबद्ध एवं सुगमता से प्रदान किये जा रहे है, जिससे लाभार्थी के समय व धन की बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त जालसाज / दोहरा लाभार्थी को रोकने में सहायक हैं तथा मध्यवर्त्ती व्यक्तियों का हस्तक्षेप भी कम हुआ हैं। साथ ही पेंशन जैसी योजनाओं में मनी ऑर्डर के माध्यम से पेशंन का भुगतान किया जाता था। जिसमें मनी ऑर्डर हेतु पृथक से शुल्क दिया जाता था। परन्तु जन आधार के माध्यम से योजनाओं में भुगतान प्रत्यक्ष रुप से बैंक खातो में किया जा रहा हैं।

xiv. जन आधार के माध्यम से किन–किन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है ?

उत्तर– जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा संचालित यथा– पेंशन, चिरंजीवी, छात्रवृति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पालनहार योजना, राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) इत्यादि योजनाओं का लाभ वर्तमान में प्रदान किया जा रहा हैं।

xv. योजनाओं के लाभ हेतु स्वतः संदेश (Auto Intimation) एवं स्वतः अनुमोदन (Auto Approval) की व्यवस्था से आमजन को क्या–क्या लाभ है ?

उत्तर– राज्य सरकार द्वारा आमजन को सरलता एवं सुगमता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभागों द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ जन आधार के माध्यम से प्रदान करने हेतु स्वतः आवेदन एवं स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत आमजन द्वारा पात्रता पूर्ण करने के उपरान्त योजनाओं के लाभों से लाभान्वित किया जा रहा है। यदि पात्र लाभार्थी द्वारा योजना की पात्रता पूर्ण करने हेतु किसी भी प्रकार के दस्तावेज का अभाव है, तो जन आधार मे दर्ज मोबाइल नम्बर पर पात्रता पूर्ण करने संबंधी संदेश प्रसारित किया जायेगा।

xvi. जन आधार नामांकन के सत्यापन की क्या प्रकिया है ?

उत्तर– जन आधार नामांकन के सफल सत्यापन हेतु प्रथम सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अधिशाषी अधिकारी द्वारा किया जाता हैं एवं द्वितीय सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्रो में उपखण्ड अधिकारी द्वारा किया जाता हैं। आवेदक की सूचना का सत्यापन 10–10 दिवस की निर्धारित अवधि में सत्यापन अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है, यदि कारणवश सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में सत्यापन नही किया जाता हैं तो मानित सत्यापन की व्यवस्था से सत्यापन किया जाता हैं। जिससे आमजन को सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से लाभ प्रदान किया जा सकें। साथ ही मानित सत्यापन यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी मानित सत्यापित अधिकारी की रहेगी।

जिलेवार जन आधार परिवार व सदस्यों के नामांकन

(31 दिसम्बर 2022 के अनुसार)

Map not to scale